चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NAAC A++
Email.:-ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in website: - www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांकः आ0ओ0/2159 /2026–27 दिनांक : 26-11-2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः–वितीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2026–27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आदेदित किये गये छात्र/छात्राओं की सूचना को अग्रसारित हेतु विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026–27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत निदेशक समाज कल्याण के पत्र संख्याः सी0–2602 दिनांकः 22.10.2026 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके बिन्दु संख्या 03 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र/छात्राओं की संख्या अग्रसारित किया जाना है।

जिसके सम्बन्ध में नोडल अधिकारी के द्वारा पत्र संख्याः नोडल/869 दिनांकः 18.16.2026 एवं नोडल/871 दिनांकः 20.11.2026 को सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पत्र निर्गत किया गया था।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनायें सत्यापित कर दिनांकः 27.11.2026 तक श्री एस0पी0 सिंह, नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
26/11/26
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सहा0 कुलसचिव सम्बद्धता।
03. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Date 20/11/2026
Letter No Nodal/ 871

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय,/ संस्थान
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः वित्तीय वर्ष/ शैक्षणिक सत्र 2026–27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बधित छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित किये गये छात्र/छात्राओं की सूचना विश्वविद्यालय को प्रषित करने के सम्बन्ध मे।

महोदय /महोदया,

उपयुक्त विषयक वित्तिय वर्ष 2026–27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निदेशक समाज कल्याण के पत्र सं0 सी–2602 दिनांक 22.10.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके बिन्दु सं0 03 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र/छात्राओं की संख्या अग्रसारित किया जाना है जिसके सम्बन्ध में गत वर्ष की भॉति – निम्नवत सूचनाऐं उपलब्ध कराने का कष्ट

1. महाविद्यालय के द्वारा अग्रसारित Fresh छत्र/छात्राओं की संख्या प्रारूप (अ) के अनुसार
2. महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/सचिव के द्वारा प्रारूप (ब) के अनुसार
3. महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं आवेदन फार्म का पी.डी.एफ. एवं 75% से उपस्थिति को प्रमाणित करते हुऐ उपलब्ध करायें।

उपरोक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सूचनाएं तत्काल शासन के द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय

नोडल अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. सचिव कुलपति– मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव– सूचनार्थ प्रेषित।

नोडल अधिकारी

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

Date 18/11/2026
Letter No Nodal/ 869

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय,/ सस्थान
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः वित्तीय वर्ष/ शैक्षणिक सत्र 2026–27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बधित छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित किये गये छात्र/छात्राओं की सूचना विश्वविद्यालय को प्रषित करने के सम्बन्ध मे।

महोदय /महोदया,

उपयुक्त विषयक वित्तिय वर्ष 2026–27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निदेशक समाज कल्याण के पत्र सं0 सी–2602 दिनांक 22.10.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके बिन्दु सं0 03 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र/छात्राओं की संख्या अग्रसारित किया जाना है जिसके सम्बन्ध में गत वर्ष की भॉति – निम्नवत सूचनाऐं उपलब्ध कराने का कष्ट

1. महाविद्यालय के द्वारा अग्रसारित Renewal छत्र/छात्राओं की संख्या प्रारूप (अ) के अनुसार
2. महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/सचिव के द्वारा प्रारूप (ब) के अनुसार
3. महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं आवेदन फार्म का पी.डी.एफ. एवं 75% से उपस्थिति को प्रमाणित करते हुऐ उपलब्ध करायें।

उपरोक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सूचनाएं तत्काल शासन के द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय

नोडल अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. सचिव कुलपति– मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव– सूचनार्थ प्रेषित।

नोडल अधिकारी

संलग्नक– प्रारूप अ

पाठ्यक्रम एवं वर्गवार विद्यार्थियों का विवरण

क्र सं	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार (S.F./Aided/Govt.)	पाठ्यक्रम का प्रकार (S.F./Aided)	पाठ्यक्रम का नाम (नागवार) (उदहारणार्थ)	पाठ्यक्रम का भाग	समबद्धता आदेश संख्या	विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीट्स	महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित किये गये विद्यार्थियों का विवरण					
								अ0पि0वर्ग	अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0संख्यक	सा0	कुल
01				बी0ए0	प्रथम								
02				बी0ए0	द्वितीय								
03				बी0ए0	तृतीय								
04				बी0एड0	प्रथम								
05				बी0एड0	द्वितीय								
06				बी0एस–सी0	प्रथम								
07				बी0एस–सी0	द्वितीय								
08				बी0एस–सी0	तृतीय								
09				एम0ए0 (विषयवार)	प्रथम								
10				एम0ए0 (विषयवार)	द्वितीय								
11				एम0एस–सी (विषयवार)	प्रथम								
12				एम0एस–सी (विषयवार)	द्वितीय								

महाविद्यालय का नाम एवं मुहर

प्रारूप– ब

शपथ पत्र का प्रारूप

01 महाविद्यालय द्वारा प्रेषित छात्रवृत्ति के गॉग पत्र मे कोई भी विद्यार्थी अपात्र एवं फर्जी नही हैं।

02 प्रत्येक विद्यार्थी से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अलग–अलग पत्रावली मे सुरक्षित रखा गया हैं, जिसे निरीक्षण के समय तत्काल महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

03 सभी विद्यार्थियों द्वारा नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत दर्ज कराई जा रही हैं।

04 प्रत्येक विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के स्तर पर महाविद्यालय में परीक्षाओं मे प्रतिभाग किया हैं अथवा करेंगें।

05 विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या/बैंक विवरण सही हैं जिसका महाविद्यालय स्तर से मिलान कर लिया गया हैं।

06 महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के जाति, आय प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्रों को राजस्व विभाग की वेबसाइट से सत्यापित कर लिया गया हैं।

07 प्रत्येक विद्यार्थी के हाईस्कूल, इण्टर तथा ग्रेजुएशन के प्रमाण–पत्रों का मूल प्रमाण–पत्रों से मिलान विभाग द्वारा कर लिया गया हैं।

08. विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतो से पारिवारिक आय समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत हैं।

09 सत्र 2025–26 में महाविद्यालय परिसर मे संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों (पाठ्यक्रम का नाम) में अध्ययनरत सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये गये डेटा को फारवर्ड करते हुये पाठ्यक्रमवार विस्तृत विवरण संलग्न सूची के अनुसार हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शपथ पत्र मे दी गई समस्त सूचना सत्य एवं सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई तथ्या छुपाया नही गया है। यदि भविष्य मे कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायीत्व महाविद्यालय का होगा तथा महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से महाविद्यालय को कोई आपत्ति नही होगी।